



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 16, 1947 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 480/कार्यक्रम/2025

नई दिल्ली, 07 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सं. 480/कार्यक्रम/2025:- यतः, श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई, 2025 को त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड (2) के अंतर्गत, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख नियत की जानी अपेक्षित है;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

- (अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तद्वर्ती बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है—

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख — 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख — 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख — 25 अगस्त, 2025 (सोमवार); और
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा — 09 सितंबर, 2025 (मंगलवार)

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,

आज्ञा से,

डॉ.बी.वी.आर.सी.पुरुषोत्तम,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 480/Programme/2025
New Delhi, 07th August, 2025

NOTIFICATION

No. 480/Programme/2025:- Whereas, a vacancy in the office of the Vice-President of India has occurred by reason of resignation of Sh. Jagdeep Dhankhar on 21st July, 2025; and

Whereas, under clause (2) of Article 68 of the Constitution of India, an election to fill the said vacancy is required to be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy; and

Whereas, under sub-section 4 of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to appoint the dates for the election to fill the office of the Vice President of India;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby —

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the said vacancy in the office of the Vice-President of India, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -
- a) the 21st August, 2025 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - b) the 22nd August, 2025 (Friday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - c) the 25th August, 2025 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - d) the 09th September, 2025 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary,

By Order,

DR. B.V.R.C. PURUSHOTTAM
*Chief Electoral Officer,
Uttarakhand*